

कार्यालय-अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/यु0पी0ग0संशोधन/११५/2025::लखनऊ:जुलाई, 08, 2025
::संशोधित आदेश-::

श्री दीनानाथ-तृतीय न्यायिक सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-1 वाराणसी द्वारा प्रेषित पत्र संख्या-436/2025, दिनांक 07.07.2025 पर विचारोपरान्त मुख्यालय के आदेशांक-828/2025, दिनांक 29.05.2025 द्वारा जनपद वाराणसी में दिनांक 14.07.2025 से दिनांक 18.07.2025 तक गठित खण्ड पीठ में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 18.07.2025 की गठित खण्डपीठ को निरस्त किया जाता है।

उपरोक्त आंशिक संशोधन के उपरान्त शेष स्थिति यथावत रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित कार्यालय/अधिकारियों को सूचित किया जाए।

ह0/08.07.2025

(रमेश चन्द-I)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-1 वाराणसी।
2. सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-अयोध्या।
3. मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्रा-भत्ता)/विवरण/कम्प्यूटर/वेब अधिकारी, मुख्यालय
4. सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा सी,



(तरुण कुमार)

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।